

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत कवागड्डी

तहसील चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.6300 हे० सिविल सोयम भूमि 0.6125 हे०, नाप भूमि अर्थात् कुल 1.5225 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10/12/13 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित कि जो सत्य एवं सही है।

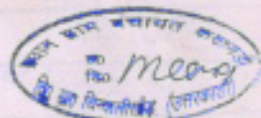
ह०/-

ग्राम सचिव

श. वि. उर

कवागड्डी

पंचायत



ग्राम प्रधान/सरपंच
ग्राम सचिव

दिनांक 12/12/12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 12/12/12

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2. 50 किमी० लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुभन वर भण्डारी	सुभन
2	बाला सिंह	बाला सिंह
3	गोकुल सिंह	गोकुल सिंह
4	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
5	अनवर सिंह	अनवर सिंह
6	रतन सिंह	रतन सिंह
7	पुलाप सिंह	पुलाप सिंह
8	सोहन सिंह	सोहन सिंह
9	रामा सिंह	रामा सिंह
10	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
11	लाल सिंह	लाल सिंह
12	अमर सिंह	अमर सिंह
13	रजनी सिंह	रजनी सिंह
14	देव सिंह	देव सिंह
15	उमेश सिंह	उमेश सिंह
16	शैर सिंह	शैर सिंह
17	गुम्भीर सिंह	गुम्भीर सिंह
18	कैदारी देवी	कैदारी देवी
19	संजीता देवी	संजीता देवी
20	अनिता देवी	अनिता देवी
21	बिजय देवी	बिजय देवी
22	गुलाबी देवी	गुलाबी देवी
23	अनिता देवी	अनिता देवी
24	मन्जू देवी	मन्जू देवी
25	नल्की सिंह	नल्की सिंह
26	सरोप सिंह	सरोप सिंह
27	दारा सिंह	दारा सिंह
28	सोनी देवी	सोनी देवी
29	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी
30	अमर देवी	अमर देवी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
31)	श्री ज्ञान सिंह	श्री ज्ञान सिंह
32)	श्री कपूर सिंह	श्री कपूर सिंह
33	नन्द बिमो	विश्व प्रसाद
34	विश्व प्रसाद	विश्व प्रसाद
35	लुगिला	रामेश प्रसाद
36	रामेश प्रसाद	रामेश प्रसाद
37	लाली क राठ	लाली क राठ
38	कुशवा नन्द	कुशवा नन्द
39	राजेश प्रसाद	राजेश प्रसाद
40	लोधा नन्द	लोधा नन्द
41	केशवा नन्द	केशवा नन्द
42	सत्या नन्द	सत्या नन्द
43	कालु देव	कालु देव
44	नन्द राठ	नन्द राठ
45	द्वन्द्व कं लाला	द्वन्द्व कं लाला
46	द्वन्द्व लाला	द्वन्द्व लाला
47	भजन सिंह	भजन सिंह
48	विश्व सिंह	विश्व सिंह
49	रामेश प्रसाद	रामेश प्रसाद
50	कमलेश प्रसाद	कमलेश प्रसाद
51	आरती देवी	आरती देवी
52	वचन सिंह	वचन सिंह
53	हरत सिंह	हरत सिंह
54	विश्व सिंह	विश्व सिंह
55	राजेश सिंह	राजेश सिंह
56	नारायण सिंह	नारायण सिंह
57	मदन लाल	मदन लाल
58	वैरी लाल	वैरी लाल
59	ममला देवी	ममला देवी
60	गुपाला सिंह	गुपाला सिंह
61	मिश्र	मिश्र
62	मिश्र	मिश्र
63	मिश्र	मिश्र

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
65	शम काव	शिम मीन
66	डाईरी	डायरी
67	बानेरा	बानेरा
68	पुली	पुली
69	रेखा देवी	रेखा
70	लोहिना देवी	लोहिना
71	लुमा देवी	लुमा देवी
72	ममरा देवी	ममरा
73	लभुना देवी	लभुना
74	इला देवी	इला देवी
75	उमिला देवी	उमिला देवी
76	डुम देवी	डुम देवी
77	बेला	बेला
78	गोपाला देवी	गोपाला देवी
79	दमा देवी	दमा देवी
80	पुला देवी	पुला देवी
81	दिव्या देवी	दिव्या देवी
82	रवि देवी	रवि देवी
83	रेखा देवी	रेखा देवी
84	गोपाला देवी	गोपाला देवी
85	राधा देवी	राधा देवी
86	लुमा देवी	लुमा देवी
87	ममरा देवी	ममरा देवी
88	लोहिना देवी	लोहिना देवी
89	डुम देवी	डुम देवी
90		

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.8925 हे०) आरक्षित वन भूमि, 0.6300 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमिहे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल (1.5225 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 23-02-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|---|------------|
| 1- | श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा | अध्यक्ष |
| 2- | श्री आर०बी० सिंह यादव उप प्रभागीय वनाधिकारी डुण्डा | सदस्य |
| 3- | श्री सुधीर चन्द्र जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री बिजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.5225 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डुण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

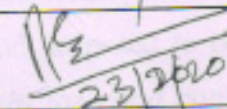
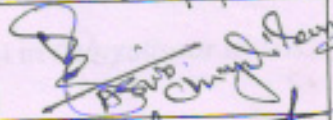
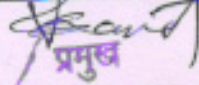
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)
उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 22-2-18 को चिन्यालीसौड़ से चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर0बी0 सिंह यादव	उप प्रभागीय वनाधिकारी डुण्डा	 23/2/2018
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़	 प्रमुख क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-Uttarkashi No. 186..... Dated-21-06-2019

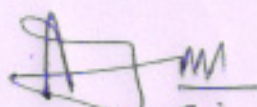
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.5225 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Chinyalisaur, Uttarkashi** for **road construction in Uttarkashi district** falls within jurisdiction of **Gorun** village (s) in **Chinyalisaur** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.5225 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1 to 30.4** annexure
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


विभागीय अधिकारी
उत्तरकाशी
(Dr. Ashish Chauhan)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other
Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi..district, constituted under FRA. 2006 was held under the
chairmanship of Mr/ Dr. Ashish Chauhan I.A.S district magistrate uttarkashi on dated 21-06-2019..... at
uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring **1.5225** hect for the construction of
Chinyali sour-Jogath M/R to Pujargaon Bhadeswar mondir motor Road forest land under FRA. 2006 of the following
applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were
discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made &
hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:...uttarkashi.....

Dated:..21-06-2019..



(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-uttarkashi

It is cetified that –Minutes of meeting of Chinyali saur-Jogath M/R to Goru
M/R (Length 2.50 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 1.5225 Het of forest area proposed for diversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerns villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolve recogninied rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scecheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe

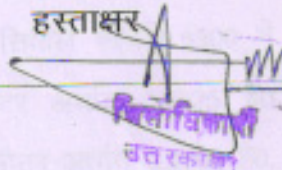
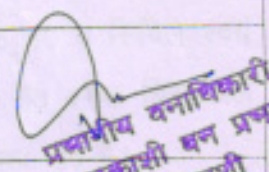
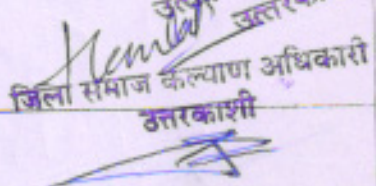
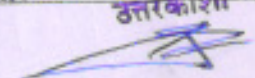
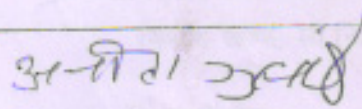
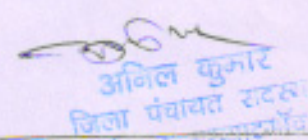
कार्यालय जिलाधिकारी (उत्तरकाशी)

खण्ड स्तरीय समिति, उत्तरकाशी।

21-06-2019

आज दिनांक 21-06-2019 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड

के चिन्यालीसौंड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डा० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री सन्दीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	 प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग
3	सुश्री हेमलता पाण्डे	जिला समाज कल्याण अधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य कन्सैण	 अनिता गुसाईं
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव